पत्रांक - 725 दिनांक 13-09-2021
सेवा में, शाखा प्रबंधक, यूको बैंक देवघर

अनुसूची २१ - प्रपत्र सं० २१३।

संपत्ति - अबभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० - 424 - /2021 आवेदन सं० शून्य / 8.9.2021

चूंकि श्री Fozi Santhal Pargana (Amdoy Ashram through Paresh Nath Roy) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबंधित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अबभारों के बारे में बही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1992 २० से ता० आज तक 2021 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों और अबभारों का पता चला :— अबभार से मुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	मौजा - पुरनदाहा थाना नं० - 399 जमाबंदी नं० - 72 वार्ड नं० - 19 (old) & 11 (New) Holding no. - 15 (old) - 01900012900001 (New) रकबा - 0.33 डिसमल आ०... 27½ Dec = 60½ डिसमल मात्र							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
(ख) १ बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।
२ पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— [signature]

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A.K. Chaudhary

(पदनाम) :- Leepik

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

मुहर

[signature] 9/9

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

9-9-2021

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चुंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षीत तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र मे दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की हैं और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।